

आदेश

क्रमांक : प.5(3) नविवि/3/99

दिनांक : 21.7.2003

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 4.10.02 के विन्दु संख्या 5 के द्वारा जयपुर के लिए फार्म हाउसेज की भूमियों के नियमन दर के संबंध में निर्देश दिये गये थे। राज्य के अन्य नगरीय क्षेत्रों के लिए फार्म हाउस का न्यूनतम आकार 3000 वर्गमीटर होगा तथा बिल्टअप एरिया 5 प्रतिशत होगा। नियमन दर 300/- रुपये प्रति वर्गमीटर होगी, तथा यह बिल्टअप क्षेत्र पर देय होगी। इस संबंध में नियमित किये गये पूर्व के प्रकरणों पर विचार नहीं किया जाएगा। इस प्रकार की भूमि का मूल चरित्र वातावरण मैत्री तथा कृषि आधारित होगा। चूंकि फार्म हाउस का न्यूनतम क्षेत्र 1500 वर्गगज से अधिक है अतः पूर्व की भांति नियमन/रूपान्तरण के पूर्व राज्य सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी।

* * *

9/8/04